

## लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स प्रतीमा देवी, देवनियां, झांझ टोला मनसाडीह, बाराचट्टी, जिला-गया द्वारा गया जिला के अंचल-इमामगंज, गया मोरहर-36 बालू घाट, ग्राम-पंचतरह और पसराडीह, मोरहर नदी का क्षेत्रफल-19.40 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक-29.09.2020 को अपराह्न 02.30 बजे प्रखण्ड कार्यालय, इमामगंज, जिला-गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/1053/2020, दिनांक-21.07.2020 के आलोक में श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता (वि0जा0), गया की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक-23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस. एन. झा, सहायक पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना में खनन कार्य बिहार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि से किया जायेगा तथा इस प्रकार खनन करने से आस-पास के क्षेत्रों का भौगोलिक व पर्यावरणीय स्वरूप बना रहता है। इस परियोजना से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है जो प्रदेश के समेकित विकास के लिए आवश्यक है। इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन होता है। जिनकी भर्ती में स्थानीय ग्रामवासियों को उनके अनुभव के आधार पर वरीयता दी जायेगी। खनन बेंच बनाकर किया जाता है जिसकी ऊँचाई 1.5 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर होगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बालू ढुलाई के लिए वाहनों का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि खादानों से अस्थायी मार्गों द्वारा जुड़ा है। इन मार्गों का रख-रखाव भी परियोजना प्रस्तावक सुरक्षित करेंगे। ध्वनि प्रदूषण के मानकों को अनुरूप बनाये रखने के लिए ग्रामीण इलाकों तथा खनन क्षेत्र के मध्य सघन छत्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा। हॉर्न का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा। प्रेशर हॉर्न का उपयोग वाहनों द्वारा नहीं किया जायेगा।

खनन कार्य एवं खनिज परिवहन में धूल-कणों का उत्सर्जन होता है जिसके नियंत्रण के लिए तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा तथा खनिज का परिवहन तिरपाल से ढक कर ही वाहनों का संचालन किया जायेगा। खनन क्षेत्र में उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होंगे अर्थात् पी.यू. सी. प्रमाणित होंगे।

Ha

24/9

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। बालू खनन का कार्य बहुत पुरानी विधि है परन्तु खनन क्रिया में पहले से बहुत सुधार हुआ है। खनन क्रिया पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। खनन क्षेत्र के आस-पास विस्तृत परियोजना विवरणी बनाया जाता है तथा सभी स्थितियों में वातावरण अनुकूल रहे इसका ख्याल रखा जाता है। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पारदर्शिता के साथ खनन कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

1. श्री संतोष कुमार, पिता-बैधनाथ पाठक, ग्राम-पसेवा, थाना-इमामगंज, जिला-गया द्वारा सुझाव दिया गया कि मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों का भार कम करना चाहिए। पेड़-पौधा रोपण की संख्या बढ़ानी चाहिए। खनन क्षेत्र को बैरिकेट करना चाहिए। खनन क्षेत्र के पास चेतावनी बोर्ड लगाना चाहिए। वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना चाहिए। गाड़ियों का आना-जाना सु-व्यवस्थित बनाना चाहिए। खनन क्षेत्र का प्रभाव निर्धारित होना चाहिए।
2. श्री कामाख्या सिंह, पिता-राधे श्याम सिंह, ग्राम-इमामगंज, जिला-गया द्वारा सुझाव दिया गया कि जल छिड़काव आवश्यक रूप से कराया जाना चाहिए। खनन कार्य की निर्धारित समय होना चाहिए।
3. श्री पंकज कुमार सिंह, पिता-श्री नारायण प्रसाद सिंह, ग्राम-बलथरवा, बाँकेबाजार, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि वाहनों की आवागमन से सड़क खराब हो जाता है एवं बालू उठाव से नदी का तटबंध को नुकसान होता है।

उत्तर- पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि सड़क मरम्मत की जिम्मेवारी पट्टाधारक की होगी। बालू का उठाव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा जिसमें खनन कार्य नदी के तटबंध से 5 मीटर छोड़कर किया जायेगा।

सहायक पर्यावरण अभियंता, बि0रा0प्र0नि0 पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू दुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ-ही-साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जायेगा ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। स्थानीय लोगों की शिकायतों का पूर्ण रूप से निष्पादन किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा सभी नियम एवं शर्तों का पूर्ण रूप से पालन कराया जायेगा। खनन कार्य से पर्यावरण को कोई क्षति न हो इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की दुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने-जाने के समय या भीड़-भाड़ होने के दौरान बालू की दुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

Sheer

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

H. K. H.  
29-9-20.
















सहायक पर्यावरण अभियंता  
बि०.रा०.प्र०.नि०.पर्वद, गया।

29/9/20

अपर समाहर्ता (वि०जा०)  
गया

## उपस्थिति सूची

मे० प्रतीमा देवी, बाराचट्टी द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-इमामगंज के मोरहर नदी पर मोरहर घाट-36 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, इमामगंज, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 29.09.2020 (मंगलवार) को 02:30 बजे अपराहन में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	संतोष कुमार शिवालय	ममलानी टोपिंग गाम	 29/9/20
2.	शरद कुमार मा. सहाय कर्मचारी अतिरिक्त	बि० 216 50 बि० परसूरी पटना	 29-9-20
3.	जय किशोर	BDO इमामगंज	 29.9.20
4.	Dr. Jatin Kr. Srivastava Consultant	Lucknow- 226017 UP	 29/09/2020
5.	Dr. Nitish Kumar,	Phulwari Sarif, Patna	 Nitish Kumar
6.	राजेश कुमार	ग्रा०-परसेवा पो- इमामगंज गया	 Rajesh Kumar
7.	Shankar Prasad	Imamganj	 Shankar Prasad
8.	राजेश कुमार चाडक	बाराचट्टी	 Rajesh Kumar
9.	श्री/० रघुशंकर आराम	उमान मंडौली	 Raghunath Aram
10.	Pankaj Kumar	At :- Baltharwa PO+PS - Bankey Bazar	 Pankaj Kumar
11.	दीपक कुमार	At Baltharwa	 Deepak K.
12.	Brajesh Kr.	At . Baltharwa	 Brajesh Kr.
13.	Balchand Yadav	Vill - Bageya.	 Balchand yada
14.	Kamlesh Yada	Nowadi	 Kamlesh yada
15.	अमर कुमार	बिहार	 Amar Kumar

